



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229370
CG-DL-E-02092021-229370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3280]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943

No. 3280]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

का.आ. 3583(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) की धारा ३ के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा संलग्न अनुसूची के कॉलम (२) में उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है। से प्रभावी कहा अधिनियम के तहत इस तरह के अधिकारियों के कार्य करने के लिए भूमि का खिंचाव के संबंध में सरकारी राजपत्र, में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख कोयंबटूर करूर धारा को अर्थात् से किमी। २११.५ से कि.मी. NH67 के 250, किमी। 250 से किमी. NH67 के 318, किमी। 318 से किमी. NH67 के 334.8 {नए NH 81 के किमी 0.000 से किमी 114.400} और कोयंबटूर रिंग रोड डिजाइन किमी 0+000 से किमी 81+620 नए NH 81 के तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाई / चार / छह लेन, आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH67 (नया NH 81) पर भूमि अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए), NH-	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH67	तमिलनाडु	करूर	पुगालुर	1 थन्नीलाई (दक्षिण) 2 पवित्रमः

	67, करूर	के कि.मी. 211.5 से 250 तक							
2	विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए), एनएच -67, तिरुपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH67 के कि.मी. 250 से 318 तक	तमिलनाडु	तिरुप्पुर	<table><tr><td>कांगेयं</td><td>1 गुरुक्कपालयम 2 नेलालि</td></tr><tr><td>पल्लादम</td><td>1 समलापुरम</td></tr></table>	कांगेयं	1 गुरुक्कपालयम 2 नेलालि	पल्लादम	1 समलापुरम
कांगेयं	1 गुरुक्कपालयम 2 नेलालि								
पल्लादम	1 समलापुरम								
3	विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए), एनएच -47,67 और 209, कोयंबटूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH67 के कि.मी. 318 से 334.8 तक	तमिलनाडु	कोइम्बटोरे	<table><tr><td>कोइम्बटोरे नार्थ</td><td>1 गुडलुर उत्तर और दक्षिण</td></tr><tr><td>अन्नुर</td><td>1 इदिगराय</td></tr></table>	कोइम्बटोरे नार्थ	1 गुडलुर उत्तर और दक्षिण	अन्नुर	1 इदिगराय
कोइम्बटोरे नार्थ	1 गुडलुर उत्तर और दक्षिण								
अन्नुर	1 इदिगराय								

[फा. सं. NHAI/11012/67/2017-LA/Notif/PIU-Karur]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2021

S.O. 3583(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch i.e. Coimbatore to Karur Section of land from Km. 211.5 to Km. 250 of the NH67 , Km. 250 to Km. 318 of the NH67, Km. 318 to Km. 334.8 of the NH67 {Km 0.000 to Km 114.400 of the New NH 81} & Coimbatore Ring Road from Design Km 0+000 to Km 81+620 of New NH 81 for building (widening / four / Six laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway in the State of TAMIL NADU.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH67 (New NH 81) in the State of TAMIL NADU.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Special District Revenue Officer (LA), NH-67, Karur	211.5KM To 250KM	TAMIL NADU	KARUR			
					Pugalur	1	Thennilai (South)
						2	PAVITHRAM
2	Special District Revenue Officer (LA), NH-67,Tiruppur	250KM To 318KM	TAMIL NADU	TIRUPPUR			
					Kangeyam	1	Gurukkapalayam
						2	Nelali
					Palladam	1	Samalapuram
3	Special District Revenue Officer (LA), NH-47,67 &209, Coimbatore	318KM To 334.8KM	TAMIL NADU	COIMBATORE			
					Coimbatore North	1	Gudalur North and South
						Annur	1

[F. No. NHAI/11012/67/2017-LA/Notif/PIU-Karur]

RAJESH GUPTA, Director